उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या-4/2016/पी-157/अड़तीस-9-16-19(पीएमजीएसवाई)/2013टी0सी0

लखनऊ : दिनांक-19 फरवरी, 2016

<u>कार्यालय ज्ञाप/संशोधन</u>

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत साख-सीमा से सम्बन्धित मार्ग-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-पी-931/अड़तीस-9-13-19(पीएमजीएसवाई)/2013, दिनांक-23.10.2013 द्वारा सी0सी0एल0 निर्गमन हेतु वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को इम्पावर्ड अधिकारी नामित किया गया था। उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की कार्यकारिणी समिति की 34वीं बैठक दिनांक-08.12.2015 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-1 से यह निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, जो भारतीय प्रशसनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ-साथ अभिकरण के प्रमुख भी है, पूर्व व्यवस्था की भांति इम्पावर्ड अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसी क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पत्रांक-2540/ए-80/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2015, दिनांक-24.12.2015 द्वारा पूर्व शासनोदश दिनांक-23.10.2013 को संशोधित करते हुये अभिकरण के इम्पावर्ड अधिकारी के रूप में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नामित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लेते हुये शासनादेश दिनांक-23.10.2013 की व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए उसे निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

वर्तमान प्राविधान (शासनादेश दिनांक-23.10.2013 के प्रस्तर-2 का उप-प्रस्तर-14)	**संशोधित प्राविधान (शासनादेश दिनांक-23.10.2013 के प्रस्तर-2 का उप-प्रस्तर-14)**
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी ऑपरेशन्स मैनुअल के प्रस्तर-13.14 के प्राविधानों के अन्तर्गत सी0सी0एल0 निर्गमन हेतु वित्त नियंत्रक, यू0पी0आर0आर0डी0ए0 इम्पावर्ड अधिकारी होंगे तथा उनके स्तर से सी0सी0एल0 निर्गमन हेतु समस्त आवश्यक औपचारिकताओं का पूर्ण होना सुनिश्चित कराया जायेगा।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु सी0सी0एल0 निर्गमन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण इम्पावर्ड अधिकारी होंगे तथा उनके स्तर से सी0सी0एल0 निर्गमन हेतु समस्त आवश्यक औपचारिकताओं का पूर्ण होना सुनिश्चित कराया जायेगा।

3- शासनादेश दिनांक-23.10.2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायगा एवं शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-4/2016/पी-157 (1)/अड़तीस-9-2016, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4. स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ
8. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (पीएमजीएसवाई), उ0प्र0 लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता/निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (लेखा) अनुभाग-2
12. गार्डबुक।

आज्ञा से,

एन0के0 सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।